प्रा०५

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल:bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० 1-04/ 2019 1307 /पटना, दिनांक : 12/06/2020

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
पटना एवं पूर्वी चम्पारण।

प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
दानापुर एवं मधुबन।

विषय : **बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।**

महाशय,

प्राधिकार के पत्रांक 258 दिनांक 27.01.2020 द्वारा **श्री शंकर स्वाबलंबी सहकारी शीत भंडार लिमिटेड एवं मधुबन सीताराम गव्य विकास एवं प्रसंस्करण स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड** के प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.01.2020 निर्धारित की गई थी एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 17.02.2020 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया था। मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत प्राधिकार के अधिसूचना संख्या 752 दिनांक 05.03.2020 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार सूचना का प्रकाशन दिनांक 23.03.2020 को किया जाना था। किन्तु राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉक डाउन के मद्देनजर प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 867 दिनांक 23.03.2020 द्वारा उक्त अधिसूचित कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा।

2. चूँकि बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली 1959 के नियम 21 म (ख) (i) के तहत मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि के 120 दिनों की सीमा के अन्तर्गत निर्वाचन कराया जाना है, जो लॉक डाउन के कारण नहीं हो सका। अतएव उक्त 02 (दो) स्वाबलंबी सहकारी समितियों की मतदाता सूची का नये सिरे से प्रकाशन कराया जाना बाध्यकारी स्थिति है।

3. उक्त स्वाबलंबी सहकारी समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके पश्चात् निर्वाचन के उदेश्य से प्राधिकार ने **दिनांक 31.05.2020** को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है, अर्थात् केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 31.05.2020 तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्ते पूरी करते हैं, मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

4. उक्त स्वाबलंबी सहकारी समितियों की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
i	स्वाबलंबी सहकारी समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	20.06.2020
ii	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	22.06.2020

iii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	24.06.2020
iv	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	24.06.2020
v	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	24.06.2020 से 04.07.2020 तक
vi	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	09.07.2020

5. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्रारूप प्रकाशन के दिन ही संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सूचनाएँ एकत्रित कर दिनांक 26.06.2020 तक इसे निश्चित रूप से प्राधिकार को समेकित रूप में उपलब्ध करायी जायगी।

6. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। **दिनांक 11.07.2020 को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र- एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी के प्रबंध निदेशक प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में ही सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित करेंगे एवं इसे उसी प्रपत्र में ई-मेल या विशेष दूत द्वारा दिनांक 13.07.2020 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।**

7. **लॉक डाउन अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करते समय कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा सुनवाई के समय भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दावा/ आपत्तियों के निष्पादन हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर अलग-अलग दावों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण किया जाय। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि दावा/ आपत्ति दायर करने तथा उनपर सुनवाई के समय एक दूसरे व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।**

8. प्राधिकार के पत्रांक 258 दनांक 27.01.2020 द्वारा दिये गये अन्य निदेश यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन

12/06/2020

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदधिकारी, पटना एवं पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वे कृपया अपने स्तर से भी संबंधित स्वावलंबी सहकारी समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1307 /पटना, दिनांक : 12/06/2020

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं तिरहुत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1307 /पटना, दिनांक : 12/06/2020

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1307 /पटना, दिनांक : 12/06/2020

प्रतिलिपि : मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ संयुक्त सचिव/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी